न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 142 / 2019	04.07.2019	18.10.2019

उनवान

1. अलीमौहम्मद उर्फ अल्ली पुत्र स्व0 रोबडा जाति मेव निवासी ग्राम औदाका तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. बसीरी पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी अजमत जाति मेव निवासी ग्राम न्याणा तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर।
3. जुबेदा पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी अलीमोहम्मद जाति मेव निवासी चोंरबसई तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर।
4. सकीना पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी हमीद जाति मेव निवासी ग्राम पाटनभान तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

......................................वादीगण

बनाम

1. भौण्डा खां पुत्र रोबडा जाति मेव निवासी ग्राम औदाका तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. जुम्मी पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी नसरू जाति मेव निवासी मेदाबास तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर ।
3. अमीना पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी हनीफ निवासी पाटनभान तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
4. इस्लामी पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी आमीन जाति मेव निवासी बालोत नगर रामगढ जिला अलवर।
5. पंजाब नेशनल बैंक जर्ये शाखा प्रबन्धक मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री देवेन्द्र जैन एडवोकेट – वादीगण
2. श्री राजेश जैन एडवोकेट – प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 0.14, 156 रकबा 0.02, 221 रकबा 0.27, 243 रकबा 0.33, 245 रकबा 0.28, 274 रकबा 0.11, 284 रकबा 0.19, 284 / 435 रकबा 0.01, 285 रकबा 0.21, 286 रकबा 0.26, 323 रकबा 0.18, 335 रकबा 0.11, 352 रकबा 0.21, 353 रकबा 0.31, 356 रकबा 0.08, 358 रकबा 0.26, 371 रकबा 0.10, 375 रकबा 0.22, 376 रकबा 0.25,

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

385 रकबा 0.24, 386 रकबा 0.24, 398 रकबा 0.12, 399 रकबा 0.12 हैक्ट0 कुल किता 23 रकबा 4.26 हैक्ट0 वाके ग्राम औदाका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का 1/3 हिस्सा वाद में विवादित है। विवादित आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार वादी, प्रतिवादी सं0 1 एवं मृतक सुफेदी पत्नी रोबडा बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 की माता सुफेदी का देहान्त हो चुका है। जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है। विवादित आराजी वादी, प्रतिवादी सं0 एवं मृतक सुफेदी को अपने पिता एवं पति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 4 आपस में साजबाज है तथा ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का से मिलकर मृतक सुफेदी की विरासत का इन्तकाल प्रतिवादीगण केवल अपने नाम से खुलवाना चाहते है जबकि वादी व प्रतिवादीगण की माता सुफेदी की आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर–बराबर का हिस्सा है। और बराबर आराजी के हकदार है। दिनांक 01.07.2019 को प्रतिवादीगण एक राय होकर विवादित आराजी पर आये और सुफेदी के नाम 1/3 हिस्से की आराजी में आकर दखलन्दाजी करने लगे और वादीगण को बेदखल कर कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करने की धमकी दी और कहा कि हम सुफेदी की विरासत का इन्तकाल हमारे नाम स्वीकार करायेंगे। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से मृतक सुफेदी पत्नी रोबडा के नाम के इन्द्राज को कलमजन कर हटाया जावे वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को सुफेदी के 1/3 हिस्से की आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज समस्त राजस्व रिकार्ड में बहिस्से बराबर अंकित किया जावें।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 सादिर की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 0.14, 156 रकबा 0.02, 221 रकबा 0.27, 243 रकबा 0.33, 245 रकबा 0.28, 274 रकबा 0.11, 284 रकबा 0.19, 284/435 रकबा 0.01, 285 रकबा 0.21, 286 रकबा 0.26, 323 रकबा 0. 18, 335 रकबा 0.11, 352 रकबा 0.21, 353 रकबा 0.31, 356 रकबा 0.08, 358 रकबा 0. 26, 371 रकबा 0.10, 375 रकबा 0.22, 376 रकबा 0.25, 385 रकबा 0.24, 386 रकबा 0. 24, 398 रकबा 0.12, 399 रकबा 0.12 हैक्ट0 कुल किता 23 रकबा 4.26 हैक्ट0 वाके ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

औदाका तहसील रामगढ जिला अलवर से सुफेदी पत्नी स्व0 रोबडा जाति मेव का 1/3 हिस्से राजस्व रिकार्ड से नाम के इन्द्राज को कलमजन कर हटाया जावे तथा उक्त 1/3 हिस्से का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को बहिस्से बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा सुफेदी के नाम के हटाये गये इन्द्राज के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 के नाम का इन्द्राज समस्त राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा रोबडा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका देहान्त हो चुका है उसने दो शादी की थी उसकी पत्नियों का नाम सुफेदी व मुहरबी है। रोबडा की दोनों पत्नियों का देहान्त हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादीगण रोबडा की सन्तान है पक्षकारान में गांव के लोगो व हमारी हमारी रिश्तेदारी ने राजीनामा करा दिया है रोबडा की समस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्से बराबर पर काबिज है राजस्व रिकार्ड में सुफेदी की हिस्से की आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर अंकित किया जाकर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे और सुफेदी के नाम के इन्द्राज को कलमजन कर हटाया जावे उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावे। दोनो पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश राजीनामा पर गौर किया तथा पक्षकारानों को पढकर सुनाया गया। वादीगण की पहचानकर्ता उनके विद्वान अधिवक्ता श्री देवन्द्र कुमार जैन द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री राजेश कुमार जैन द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा राजीनामा को तस्दीक किया गया। जब वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तो मुताबिक राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 0.14, 156 रकबा 0.02, 221 रकबा 0.27, 243 रकबा 0.33, 245 रकबा 0.28, 274 रकबा 0.11, 284 रकबा 0.19,

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

284/435 रकबा 0.01, 285 रकबा 0.21, 286 रकबा 0.26, 323 रकबा 0.18, 335 रकबा 0.11, 352 रकबा 0.21, 353 रकबा 0.31, 356 रकबा 0.08, 358 रकबा 0.26, 371 रकबा 0.10, 375 रकबा 0.22, 376 रकबा 0.25, 385 रकबा 0.24, 386 रकबा 0.24, 398 रकबा 0.12, 399 रकबा 0.12 हैक्ट0 कुल किता 23 रकबा 4.26 हैक्ट0 वाके ग्राम औदाका तहसील रामगढ जिला अलवर में रोबडा की समस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्से बराबर पर काबिज है राजस्व रिकार्ड में सुफेदी के 1/3 हिस्से की आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर अंकित किया जाता है। और सुफेदी के नाम के इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रेनू मीना
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 142 / 2019	04.07.2019	18.10.2019

उनवान

1. अलीमौहम्मद उर्फ अल्ली पुत्र स्व0 रोबडा जाति मेव निवासी ग्राम औदाका तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. बसीरी पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी अजमत जाति मेव निवासी ग्राम न्याणा तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर।
3. जुबेदा पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी अलीमोहम्मद जाति मेव निवासी चोंरबसई तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर।
4. सकीना पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी हमीद जाति मेव निवासी ग्राम पाटनभान तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

......................................वादीगण

बनाम

1. भौण्डा खां पुत्र रोबडा जाति मेव निवासी ग्राम औदाका तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. जुम्मी पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी नसरू जाति मेव निवासी मेदाबास तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर ।
3. अमीना पुत्री स्व0 रोबडा पत्नीं हनीफ निवासी पाटनभान तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
4. इस्लामी पुत्री स्व0 रोबडा पत्नी आमीन जाति मेव निवासी बालोत नगर रामगढ जिला अलवर।
5. पंजाब नेशनल बैंक जर्ये शाखा प्रबन्धक मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण —

1. श्री देवेन्द्र जैन एडवोकेट — वादीगण
2. श्री राजेश जैन एडवोकेट — प्रतिवादीगण

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 0.14, 156 रकबा 0.02, 221 रकबा 0.27, 243 रकबा 0.33, 245 रकबा 0.28, 274 रकबा 0.11, 284 रकबा 0.19, 284 / 435 रकबा 0.01, 285 रकबा 0.21, 286 रकबा 0.26, 323 रकबा 0.18, 335 रकबा 0.11, 352 रकबा 0.21, 353 रकबा 0.31, 356 रकबा 0.08, 358 रकबा 0.26, 371 रकबा 0.10, 375 रकबा 0.22, 376 रकबा 0.25,

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

385 रकबा 0.24, 386 रकबा 0.24, 398 रकबा 0.12, 399 रकबा 0.12 हैक्ट0 कुल किता 23 रकबा 4.26 हैक्ट0 वाके ग्राम औदाका तहसील रामगढ जिला अलवर में रोबडा की समस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्से बराबर पर काबिज है राजस्व रिकार्ड में सुफेदी के 1/3 हिस्से की आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर अंकित किया जाता है। और सुफेदी के नाम के इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

रेनू मीना
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)